14 सफाई मित्रों पर की कार्रवाई, एक निलंबित

भास्कर संवाददाता | रतलाम 13-3

सफाई के काम में लापरवाही बरतने पर आयुक्त सोमनाथ झारिया ने 15 कर्मचारियों पर कार्रवाई की। इसमें वार्ड 8 के सफाई कर्मचारी महेश पंचम को काम में लापरवाही करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं बिना सूचना और अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले 14 कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काट दिया है।

इनमें जोन एक के 9, जोन दो के 2, जोन चार के 1 और जोन दो के 2 कर्मचारी शामिल हैं। उधर शुक्रवार रात को रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था से गैरहाजिर रहे 6 कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं।

दै. भास्कर 13/3/22

गंदगी फैलाने पर 15 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम | नगर निगम के अमले ने शनिवार को गंदगी फैलाने पर 9 व्यक्तियों पर जुर्माना किया। त्रिपोलिया गेट के पास खुले में यूरीन करने पर दीपक प्रकाशचंद्र गुप्ता को थाने में बैठाया। वहीं, राजेंद्र जिनिंग फैक्टरी पर 5000 रुपए, रूप रतन ट्रेडर्स व डिस्पोजल हाउस पर 3000 रुपए, विजय श्रीवास्तव, जय महाकाल जूस सेंटर, श्रीपाल रतनलाल, विक्रांत शर्मा पर 500, भेरूलाल पर 100 रुपए का स्पॉट फाइन लगाया। 13-3

दै. भास्कर 13/3/22

गदंगी, अमानक पॉलीथीन व खुले में यूरिन उपयोग तथा विक्रय करने पर 15 व्यक्तियों पर जुर्माना

इन्दौर समाचार

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते है, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 11 मार्च शुक्रवार को 15 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार विजय, संजय प्रजापत, संतोश, वंशी, घनश्याम, भरत, अजमल, पिन्टु, सचिन, शहनाज पर 500-500, पंकज, रानू, नरेन्द्र व राकेश कुशवाह पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी, अतिक्रमण व अमानक पॉलीथीन का उपयोग व विक्रय ना करने की समझाईश दी। 13-3

इन्दौर समाचार 13/3/22

एक बार काम में आने वाले प्लास्टिक डिस्पोटल से शहर गंदा- कलेक्टर

प्रभात किरण

रतलाम, नप्र। एक ही बार उपयोग में आने वाले डिस्पोजल और प्लास्टिक से सबसे ज्यादा कचरा होता है, जिससे शहर गंदा दिखाई देता है। शहर को साफ और सुंदर बनाने के लिए एक सौ माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन और सिंगल यूज डिस्पोजल का उपयोग बंद करना होगा। 12-3-22

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने यह बात व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक में कही। कलेक्टर ने सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए पॉलीथन और डिस्पोजल व्यापारियों को अपनी दुकाने बंद रखने को कहा। सफाई में रतलाम को नंबर वन बनाए जाने के लिए कलेक्टर ने कहा कि 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक व डिस्पोजल ना तो बनाए और नहीं विक्रय करें। इनका उपयोग कतई ना करें। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कहा कि नागरिकों की पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक व डिस्पोजल उपयोग की आदत को बदलना होगी। जब आप इसको बनाएंगे ही नहीं और बेचेंगे नहीं तो फिर इनका उपयोग करना भी बंद हो जाएगा।

बैठक में कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, जी.के. जायसवाल, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान, विनय चौहान, धर्मेन्द्र दोगाया, व्यापारी एसोसिएशन पदाधिकारी, डिस्पोजल विक्रेता संजय पारख, राहूल पोखरना, यशवंतसिंह राठौर, ताराचन्द प्रीतवानी, अर्पित अग्रवाल, तरूण मूणत, शेखर जैन, अंकुश गोधा, संदीप उपाध्याय, राकेश गांधी, महेन्द्र पड़ियार, यश जैन, विजय कुमार अग्रवाल, ललित जैन, कमलेश माहेश्वरी, संजय माहेश्वरी, मनोज जैन, प्रमोद जैन आदि मौजूद रहे।

खुले में लघुशंका पर जुर्माना

रतलाम, नप्र। खुले में कचरा डालने, अमानक स्तर की पॉलीथीन का उपयोग करने पर तो जुर्माना हो रहा है अब खुले में लघुशंका करने पर भी जुर्माना होगा। जुर्माना वसूलने वाले दल ने कल ऐसे ही ग्यारह लोगों पर जुर्माना किया है।

प्रभातकिरण 13/3/22

इस महीने में दो दिन नहीं होंगी रजिस्ट्रियां, बाकी पूरे माह रजिस्ट्री करा सकते हैं लोग

भास्कर संवाददाता | रतलाम

वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने को देखते हुए रजिस्ट्रार विभाग शनिवार और रविवार की छुट्टी के दिन भी खुल रहा है। शनिवार को विभाग में 23 रजिस्ट्रियां हुईं। वहीं आज रविवार है। आज भी दफ्तर खुलेगा और लोग रजिस्ट्री करा सकते हैं। इस महीने सिर्फ 18 मार्च (धुलेंडी) और 22 मार्च (रंगपंचमी) को छोड़कर शेष दिन 31 मार्च तक विभाग का दफ्तर रोज खुलेगा और रजिस्ट्रियां हो सकेंगी।

1 अप्रैल से बढ़ सकती है प्रॉपर्टी की गाइड लाइन

नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से गाइड लाइन बढ़ सकती है। इस बार की प्रस्तावित गाइड लाइन में जमीन के भाव 20 फीसदी तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में प्रस्तावित गाइडलाइन पर मुहर लग गई। इसके बाद विभाग ने इस पर सुझाव मांगे थे। अब प्रस्तावित गाइड लाइन भोपाल भेजी जाएगी। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद गाइडलाइन लागू हो सकती है।

छुट्टी के दिन भी खुल रहा दफ्तर

जिला पंजीयक डॉ. अमरेश नायडू ने बताया लोगों की सुविधा को देखते हुए छुट्टी के दिन दफ्तर खुल रहा है। इस बार धुलेंडी और रंगपंचमी को छोड़कर 31 मार्च तक रोज दफ्तर खुलेगा। इच्छुक लोग रजिस्ट्री करा सकते हैं।

दै. भास्कर 13/3/22

समय जगत

11 नल-जल योजना सहित खेल परिसर की मिली स्वीकृति

रतलाम। ग्रामीणों एवं कार्यकर्ताओं में मांग को दृष्टिगत रखते हुए रतलाम ग्रामीण विधानसभा के विधायक श्री दिलीप कुमार मकवाना द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र रतलाम ग्रामीण में मुख्य स?को के निर्माण का प्रस्ताव मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री गोपाल भार्गव के समक्ष प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान एवं विभागीय मंत्री द्वारा विधायक श्री मकवाना के प्रस्ताव को सहमति प्रदान करते हुए रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में ग्राम उमरथाना से बी?पा? होते हुए ग्राम धोलका तक 4 कि.मी., ग्राम उसरगार से नामली तक 4 कि.मी., ग्राम प्रीतनगर से प्रीतमनगर रेल्वे स्टेशन तक 2 कि.मी., ग्राम रघुनाथग? से लोचीतारा तक 2 कि.मी., ग्राम ढीकवा से सिनोद होते हुए नौगावा फन्टा से खाचरोद रो? तक 7 कि.मी., सातरूण्डा, मुंदडी-छत्री, बिरमावल तक स?क निर्माण की स्वीकृति देते हुए 21.40 करो? रूपए का बजट प्रावधान किया। साथ ही ग्रामीणों को पर्याप्त शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके इस हेतु रतलाम ग्रामीण विधानसभा के ग्राम डेलनपुर, चौराना, मुंदडी, ढीकवा, पल्दूना, धमोत्तर, बोदिना, लालगुवा?ी, गुणावद, मउ, पलसो?ा में नल-जल योजना की स्वीकृति हेतु 1853.05 करो? रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। खेल प्रतिभाओं को ब?ावा देने के लिए ग्राम बंजली में एक खेल परिसर (इंडोर/आउटडोर स्टेडियम) के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की गयी। विधायक श्री मकवाना के प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्रियों द्वारा कार्यों की स्वीकृति प्रदान किए जाने से विधायक श्री मकवाना ने मुख्यमंत्री, श्री शिवराजसिंह चौहान, लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री गोपाल भार्गव, लोक स्वास्थ्य एवं यात्रिकी मंत्री श्री एदंलसिंह कंषाना एवं खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधीया जी का आभार माना तथा धन्यवाद ज्ञापित किया।

13-3-22

समयजगत 13/3/22

100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

13-3

इन्दौर समाचार

रतलाम। रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक (प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्ड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झण्डे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, ग्लास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, टेऊ स्वीट बाक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टिरंस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी के बैनर) के उपयोग को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। नगर के समस्त प्लास्टीक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एवं ना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

कार्रवाई का डर

आदेश के बाद डिस्पोजल की 50 से अधिक दुकानों पर लगा ताला

फॉलोअप

स्वच्छता सर्वेक्षण: 31 मार्च तक बंद रखें डिस्पोजल दुकानें

पत्रिका

प्रकाशित खबर।

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

patrika.com

रतलाम. शहर में गंदगी करने वाले व अमानक स्तर की प्लास्टिक की बिक्री करने वालों के खिलाफ नगर निगम के स्पॉट फाइन दल ने मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को अलग-अलग स्थान पर हजारों रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

निगम उपायुक्त विकास सोलंकी ने बताया कुलदीप के नेतृत्व वाले दल के सदस्यों ने डिस्पोजल हाउस पर अमानक स्तर का प्लास्टिक मिलने पर 3 हजार रुपये, रुपरतन ट्रेडर्स पर गंदगी मिलने पर 3 हजार रुपये, श्री राजेंद्र जिनींग फैक्ट्री पर गंदगी मिलने पर 5 हजार रुपए, विक्रांत वर्मा के यहां गंदगी मिलने पर 500 रुपए, श्रीपाल रतनलाल फर्म पर गंदगी मिलने पर 500 रुपये, जय महाकाल ज्यूस सेंटर पर गंदगी मिलने पर 500 रुपये, विजय श्रीवास्तव पर गंगदी करने पर 500 रुपए व भैरूलाल, दिनेश मालवीय पर 100 - 100 रुपए का जुर्माना किया गया।

इधर बंद कर दी दुकानें

इधर शहर में बाजार क्षेत्र में प्लास्टिक डिस्पोजल की 50 से अधिक दुकानों को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर बंद कर दिया गया है। दुकानदारों के साथ कलेक्टर कुमार व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने शुक्रवार को बैठक ली थी। इसके बाद कलेक्टर ने कहा था कि स्वच्छता अभियान में रैंकिंग के लिए कार्य 31 मार्च तक चल रहा है। इसलिए दुकानें बंद रखी जाए, क्योंकि प्लास्टिक से गंदगी होती है। इसके बाद शनिवार को शहर में डिस्पोलन की दुकानें खुली ही नहीं व इन पर ताले लगे रहे।

पत्रिका 13/3/22

टेंडर के अभाव में पटरी से उतारी स्वच्छता

करोड़ों की लागत के प्रशिक्षण केंद्र को सफाई का इंतजार

पत्रिका ग्राउंड रिपोर्ट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. रेल मंडल मुख्यालय पर 3 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से शुरू किए गए प्रशिक्षण केंद्र पर स्वच्छता बे पटरी हो गई है। असल में यहां पर छह माह से रेलवे सफाई सहित अन्य कार्य की निविदा नहीं कर पाई है। फिलहाल जिसको काम सौंपा हुआ है, उसे कर्मचारी बेहतर काम नहीं कर रहे है। जो नई निविदा आई है, उस पर फिलहाल निर्णय नहीं हो पाया है।

रेलवे ने महू रोड स्थित गुजराती चाल में नया प्रशिक्षण केंद्र बनाया है। इसकी शुरुआत तत्कालीन समय में पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक आलोक कंसल ने किया था। तब से अब तक यहां पर सफाई से लेकर मेस की व्यवस्थाएं पटरी पर आ ही नहीं पाई है। नए टेंडर में 22 कंपनियों ने निविदा भरी है।

कोई नहीं आता सफाई करने

यहां पर पढ़ाई करते हुए एक माह हो गया है। कोई सफाई करने आए यह नहीं देखा है। जब गंदगी अधिक हो जाती है तो हम विद्यार्थी ही कचरा बाहर रोड पर डाल देते है। - **महेश सोलंकी,** विद्यार्थी, परिवर्तित नाम

जल्दी होगी निविदा

प्रशिक्षण केंद्र में स्वच्छता के प्रति रेलवे गंभीर है। इसलिए निविदा की प्रक्रिया जारी है। जल्दी ही बेहतर स्वच्छता देखने को मिलेगी।

- **खेमराज मीणा,** मंडल रेलवे प्रवक्ता

कई दिन तक भरी रहती डस्टबिन

इस प्रशिक्षण केंद्र में डस्टबिन को कई दिन तक खाली नहीं किया जा रहा है। ऐसे में एक के बाद एक डस्टबिन जब भर जाता है तब पढ़ने आने वाले विद्यार्थी ही इसको बाहर खाली करते है। ऐसे में रेलवे की इस गंदगी को रोड पर डालने से रहने वालों के स्वास्थ्य पर खराब असर होने का अंदेशा है।

पत्रिका 13/3/22

नेशनल लोक अदालत में 33 प्रकरणों का निराकरण

न्याय ● 95 लाख के अवार्ड पारित, समझौते के आधार पर 499 केस का निपटारा

जावरा। (नईदुनिया न्यूज)। न्यायालय परिसर में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। नौ खंडपीठों के माध्यम से आपसी समझौते के आधार पर 2462 में से 499 प्रकरणों का निराकरण हुआ। मोटर व्हीकल एक्ट क्लेम के 421 प्रकरण निराकरण के रखे गए थे। इसमें से 33 प्रकरणों का समझौते के आधार पर निराकरण हुआ। संबंधितों को 95 लाख 85 हजार रुपए का अवार्ड पारित किया गया। लोक अदालत में समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण होने से 677 लोग लाभान्वित हुए। न्यायालय परिसर में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 2462 प्रकरण आपसी समझौते के आधार पर निराकरण करने के लिए रखे गए थे। जिसमें से 499 प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण हुआ। उक्त आयोजन में प्रथम जिला न्यायाधीश रूपेश शर्मा, द्वितीय जिला न्यायाधीश ओपी बोहरा, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मोहितकुमार, न्यायाधीश नमिता बोरासी, सुर्यपालसिंह राठौर, प्रगति मित्रा, चेतना दशोरा, रोहित शर्मा, शिखा चर्तुवेदी की खंडपीठ की खंडपीठों पर समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण हुआ।

न्यायाधीश नमिता बोरासी के न्यायालय में समझौते के आधार पर पति-पत्नी हुए एक साथ रहने को राजी। ● नईदुनिया

चेक बाउंस के 83 प्रकरणों का हुआ निराकरण

चेक बाउंस के 500 प्रकरणों में से 83 का निराकरण हुआ। संबंधितों ने 66 लाख 13 हजार 913 रूपए की राशि जमा कराई। बैंक बकाया राशि के 4 प्रकरण रखे गए थे। जिसमें से 4 का निराकरण हुआ। संबंधितों ने 25 हजार 273 रूपए जमा कराए। जलकर के 259 प्रकरणों में से 186 प्रकरणों का निराकरण हुआ। संबंधितों ने 5 लाख 54 हजार 380 रूपए की राशि जमा कराई।

न्यायालय परिसर मे लोक अदालत का शुभारंभ मे न्यायाधीश एवं एडवोकेट मौजूद। ● नईदुनिया

सम्पत्तिकर के 67 प्रकरणों में से सभी का निराकरण हुआ। संबंधितों ने 3 लाख 64 हजार 850 रूपये की राशि जमा कराई। 80 आपराधिक प्रकरण रखे गए। जिसमें से 5 प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण हुआ। सिविल के 90 प्रकरण रखे गए। जिसमें से 10 प्रकरणों का निराकरण हुआ। संबंधित ने 32 लाख 95 हजार रूपए की राशि जमा कराई। भरण पोषण के 363 प्रकरणों में से 11 का निराकरण हुआ।

विद्युत कंपनी के 107 प्रकरणों का हुआ निराकरण

इधर विद्युत कंपनी के न्यायालय मे प्री-लिटिगेशन व लिटिगेशन के 479 प्रकरण रखे गए थे। जिसमे से 107 प्रकरणों का निराकरण हुआ। संबंधितो के 17 लाख 42 हजार 86 रूपए का समायोजन हुआ।

समझाईश के बाद पति पत्नी एक साथ रहने को राजी हो गए : अदालत मे न्यायाधीश नमिता बौरासी के खंडपीठ द्वारा पति-पत्नी के बीच चले रहे विवाद को समझाइश देकर सुलह कराई। प्रकरण मे आवेदिका खुशालकुंवर पत्नी लाखनसिंह राजपुत निवासी ग्राम- बडावदी तहसील जावरा दोनों के बीच विवाद चल रहा था। जिसे न्यायाधीश नमिता बौरासी ने दोनों को समझाइश देकर खुशी-खुशी घर जाने के लिए रवाना किया।

नईदुनिया 13/3/22

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक पुरुषोत्तम ने बैठक में दिए निर्देश

31 मार्च तक सिंगल यूज प्लास्टिक व डिस्पोजल रहेंगे प्रतिबंधित

प्रसारण न्यूज • रतलाम

शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर-1 बनाये जाने में व्यापारियों की सहभागिता हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम ने निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के साथ व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक लेकर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को दृष्टिगत रखते हुए पॉलीथीन व डिस्पोजल विक्रेताओं को [illegible] निर्देश दिए।

आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं निगम प्रशासक पुरुषोत्तम ने मर्चेन्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से कहा कि 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक व डिस्पोजल से सबसे अधिक कचरा व गंदगी होती है, जिससे शहर गन्दा दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि आप सभी की सहभागिता से ही स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर-1 बनाया जा सकता है, इस हेतु वे 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक व डिस्पोजल निर्माण, उपयोग व विक्रय ना करें।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने कहा कि नागरिकों की पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक व डिस्पोजल उपयोग की आदत को बदलना होगी, जब आप इसका निर्माण व विक्रय ही नहीं करेंगे तो वे इनका उपयोग करना बंद कर देंगे।

आयोजित बैठक में कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, जी.के. जायसवाल, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी कि[illegible] चौहान, विनय चौहान, धर्मेन्द्र दोगाया, व्यापारी एसोसिएशन पदाधि[illegible]री, पॉलीथीन व डिस्पोजल विक्रेता संजय पारख, राहुल पोखरना, यशवंतसिंह राठौर, ताराचन्द प्रीतवानी, अर्पित अग्रवाल, तरूण मूणत, शेखर जैन, अंकुश गोधा, संदीप उपाध्याय, राकेश गांधी, महेन्द्र पडियार, यश जैन, विजयकुमार अग्रवाल, ललीत जैन, कमलेश माहेश्वरी, संजय माहेश्वरी, मनोज जैन, प्रमोद जैन आदि उपस्थित थे।

खुले में यूरिन उपयोग तथा विक्रय करने पर 15 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते है, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते है, खुले में यूरिन करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 11 मार्च शुक्रवार को 15 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार विजय, संजय प्रजापत, संतोश, बंशी, घनेश्याम, भरत, अजमल, पिन्टू, सचिन, शहनाज पर 500-500, पंकज, रानू, नरेन्द्र व राकेश कुशवाह पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी, अतिक्रमण व अमानक पॉलीथीन का उपयोग व विक्रय ना करने की समझाईश दी। 13-3-22

100 माईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम। रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक (प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्ड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झण्डे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, ग्लास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, टेऊ स्वीट बाक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनर) के उपयोग को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। नगर के समस्त प्लास्टिक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एवं ना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

प्रसारण 13/3/22

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक पुरुषोत्तम ने बैठक में दिए निर्देश

स्वच्छ सर्वेक्षण : सिंगल यूज प्लास्टिक और डिस्पोजल रहेंगे प्रतिबंधित

रतलाम » दबंग रिपोर्टर

शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर - 1 बनाये जाने में व्यापारियों की सहभागिता हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम ने निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के साथ व्यापारी एसोशिएशन के पदाधिकारियों की बैठक लेकर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को दृष्टिगत रखते हुए पॉलीथीन व डिस्पोजल विक्रेताओं को अपनी दुकानें बंद रखने के निर्देश दिये।

आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं निगम प्रशासक पुरुषोत्तम ने मर्चेन्ट एसोशिएशन के पदाधिकारियों से कहा कि 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक व डिस्पोजल से सबसे अधिक कचरा व गंदगी होती है जिससे शहर गन्दा दिखाई देता है।

उन्होंने कहा कि आप सभी की सहभागिता से ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर-1 बनाया जा सकता है इस हेतु वे 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक व डिस्पोजल निर्माण, उपयोग व विक्रय ना करें।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने कहा कि नागरिकों की पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक व डिस्पोजल उपयोग की आदत को बदलना होगी जब आप इसका निर्माण व विक्रय ही नहीं करेंगे तो वे इनका उपयोग करना बंद कर देंगे।

आयोजित बैठक में कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, जी.के. जायसवाल, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान, विनय चौहान, धर्मेन्द्र दोगाया, व्यापारी एसोशिएशन पदाधिकारी, पॉलीथीन व डिस्पोजल विक्रेता संजय पारख, राहूल पोखरना, यशवंतसिंह राठौर, ताराचन्द प्रीतवानी, अर्पित अग्रवाल, तरूण मूणत, शेखर जैन, अंकुश गोधा, संदीप उपाध्याय, राकेश गांधी, महेन्द्र पडियार, यश जैन, विजयकुमार अग्रवाल, ललीत जैन, कमलेश माहेश्वरी, संजय माहेश्वरी, मनोज जैन, प्रमोद जैन आदि उपस्थित थे।

100 मॉइक्रॉन से कम मोटाई की पॉलिथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम। नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई
वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक (प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्ड, बैलून में उपयोग होने वाले
प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झण्डे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाले
थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, ग्लास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रेऊ, स्वीट बाक्स, निमंत्रण पत्र,
सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टिर्रर्स व 100 माईक्रोन से कम मोटाई
वाले प्लास्टिक व पीव्हीसी के बैनर) के उपयोग को मध्यप्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम
प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निदेर्शानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। नगर के समस्त प्लास्टीक
(पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की
पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एवं ना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें।
उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। नगर
के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं
कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने
में अपना सहयोग प्रदान करें।

दबंग दुनिया 13/3/22

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक पुरुषोत्तम ने बैठक में दिये निर्देश

इन्दौर समाचार 13-3-22

31 मार्च तक सिंगल यूज प्लास्टिक व डिस्पोजल रहेंगे प्रतिबंधित

रतलाम।

शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर - 1 बनाये जाने में व्यापारियों की सहभागिता हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम ने निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के साथ व्यापारी एसोशिएशन के पदाधिकारियों की बैठक लेकर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को दृष्टिगत रखते हुए पॉलीथीन व डिस्पोजल विक्रेताओं को अपनी दुकानें बंद रखने के निर्देश दिये।

आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं निगम प्रशासक पुरुषोत्तम ने मर्चेन्ट एसोशिएशन के पदाधिकारियों से कहा कि 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक व डिस्पोजल से सबसे अधिक कचरा व गंदगी होती है जिससे शहर गन्दा दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि आप सभी की सहभागिता से ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर-1 बनाया जा सकता है इस हेतु वे 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक व डिस्पोजल निर्माण, उपयोग व विक्रय ना करें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने कहा कि नागरिकों की पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक व डिस्पोजल उपयोग की आदत को बदलना होगी जब आप इसका निर्माण व विक्रय ही नहीं करेंगे तो वे इनका उपयोग करना बंद कर देंगे। आयोजित बैठक में कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, जी.के. जायसवाल, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान, विनय चौहान, धर्मेन्द्र दोगाया, व्यापारी एसोशिएशन पदाधिकारी, पॉलीथीन व डिस्पोजल विक्रेता संजय पारख, राहूल पोखरना, यशवंतसिंह राठौर, ताराचन्द प्रीतवानी, अर्पित अग्रवाल, तरूण मूणत, शेखर जैन, अंकुश गोधा, संदीप उपाध्याय, राकेश गांधी, महेन्द्र पडियार, यश जैन, विजयकुमार अग्रवाल, ललीत जैन, कमलेश माहेश्वरी, संजय माहेश्वरी, मनोज जैन, प्रमोद जैन आदि उपस्थित थे।

इन्दौर समाचार 13/3/22

31 मार्च तक सिंगल यूज प्लास्टिक व डिस्पोजल रहेंगे प्रतिबंधित

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक पुरुषोत्तम ने बैठक में दिये निर्देश

'दैनिक अवन्तिका' ▸▸ रतलाम

13-3-22

शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर - 1 बनाये जाने में व्यापारियों की संहभागिता हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम ने निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के साथ व्यापारी एसोशिएशन के पदाधिकारियों की बैठक लेकर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को दृष्टिगत रखते हुए पॉलीथीन व डिस्पोजल विक्रेताओं को अपनी दुकानें बंद रखने के निर्देश दिये।

आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं निगम प्रशासक पुरुषोत्तम ने मर्चेन्ट एसोशिएशन के पदाधिकारियों से कहा कि 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक व डिस्पोजल से सबसे अधिक कचरा व गंदगी होती है जिससे शहर गन्दा दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि आप सभी की सहभागिता से ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर-1 बनाया जा सकता है इस हेतु वे 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक व डिस्पोजल निर्माण, उपयोग व विक्रय ना करें।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने कहा कि नागरिकों की पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक व डिस्पोजल उपयोग की आदत को बदलना होगी जब आप इसका निर्माण व विक्रय ही नहीं करेंगे तो वे इनका उपयोग करना बंद कर देंगे। आयोजित बैठक में कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, जी.के. जायसवाल, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान, विनय चौहान, धर्मेन्द्र दोगाया, व्यापारी एसोशिएशन पदाधिकारी, पॉलीथीन व डिस्पोजल विक्रेता संजय पारख, राहूल पोखरना, यशवंतसिंह राठौर, ताराचन्द प्रीतवानी, अर्पित अग्रवाल, तरूण मूणत, शेखर जैन, अंकुश गोधा, संदीप उपाध्याय, राकेश गांधी, महेन्द्र पडियार, यश जैन, विजयकुमार अग्रवाल, ललीत जैन, कमलेश् माहेश्वरी, संजय माहेश्वरी, मनोज जैन, प्रमोद जैन आदि उपस्थित थे।

अवन्तिका 13/3/22

पॉलिथीन व डिस्पोजल विक्रेताओं को दुकानें बंद रखने के निर्देश

रतलाम ● स्वदेश समाचार 13-3-22

रतलाम शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण- में रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर - 1 बनाए जाने में व्यापारियों की सहभागिता हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम ने निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के साथ व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक लेकर स्वच्छ सर्वेक्षण को दृष्टिगत रखते हुए पॉलिथीन व डिस्पोजल विक्रेताओं को अपनी दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मर्चेन्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से कहा कि 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलिथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक व डिस्पोजल से सबसे अधिक कचरा व गंदगी होती है जिससे शहर गन्दा दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि आप सभी की सहभागिता से ही स्वच्छ सर्वेक्षण में रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर-1 बनाया जा सकता है इस हेतु वे 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलिथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक व डिस्पोजल निर्माण, उपयोग व विक्रय ना करें। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कहा कि नागरिकों को आदत को बदलना होगी।

गर्मी से पहले जलसंकट

13-3-22

महेश नगर के घरों के बाहर पाइप लाइन सुधारना थी, खुदाई कर छोड़ दिया, इससे समस्या बढ़ गई

रतलाम | गर्मी की दस्तक से पहले ही पानी की परेशानी के मामले सामने आने लगे हैं। मामला महेश नगर का सामने आया है, यहां पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी। शिकायत करने के बाद पाइप लाइन सुधारने के लिए नगर निगम की टीम आई, लेकिन घरों के बाहर खुदाई की और काम छोड़ कर चली गई। यहां 10 दिन से ऐसे ही खुदे हुए गड्ढे पड़े हैं। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है।

दै.भास्कर 13/3/22

अनदेखी

अस्पताल में हो रहा निर्माण, बावड़ी का खींच रहे पानी

ठेकेदार कर रहा बावड़ी के पानी का उपयोग

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. जिला अस्पताल परिसर में चल रहे निर्माण के दौरान यहां की बावड़ी के पानी का उपयोग किया जा रहा है जिसके चलते गर्मी आने के पहले ही बावड़ी का पानी कम पड़ने लगा है। यदि बावड़ी का पानी अभी से सूख जाएगा तो गर्मियों के दिनों में अस्पताल परिसर के बोरिंग में भूमिगत जलस्तर कम होने से पानी के संकट का सामना करना पड़ सकता है।

अस्पताल से जुड़े लोगों की माने तो परिसर में चल रहे निर्माण के दौरान ठेकेदार को ही पानी की व्यवस्था करना चाहिए थी लेकिन वह यहां की बावड़ी के पानी का उपयोग कर रहा है, ऐसे में बावड़ी का पानी अभी से टूटकर जलस्तर नीचे चला गया है। यदि ऐसे ही बावड़ी का पानी कम होता रहा तो जल्द ही वह सूख जाएगी।

पत्रिका 13/3/22

धीमा वैक्सीनेशन • जिला अस्पताल में ही लगा रहे टीके, ग्रामीण क्षेत्र के सेंटर भी किए कम

रतलाम के 100% बच्चों और बुजुर्गों को लगा बूस्टर, ग्रामीण में हालत खराब... 4 ब्लॉक में 10% भी नहीं

भास्कर संवाददाता | रतलाम

कोरोना की तीसरी लहर गुजर चुकी है... यह लहर सामान्य रही। ज्यादा गंभीर लक्षण देखने को नहीं मिले, इधर, इस बात का असर वैक्सीनेशन पर भी दिख रहा है। जिले में अब वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी है। या यूं कहें कि ना के बराबर ही टीके लग रहे हैं। ऐसा हाल तब है जब जिले के 4 ब्लॉक में 10% बुजुर्गों को भी टीके नहीं लगे है। राहत इस बात की है कि रतलाम शहर में 100% बच्चों और बुजुर्गों को टीके लग गए है।

जिले में जनवरी के महीने से बूस्टर डोज लगना शुरू हो गए थे, इसी के साथ बच्चों का वैक्सीनेशन भी होने लगा था। बच्चों का वैक्सीनेशन तो तेजी से हो गया। लेकिन, बुजुर्गों के टीके धीमी गति पकड़े थे। बहरहाल, अब रतलाम शहर में तो 5837 बुजुर्गों को टीके लग गए है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने 5807 बुजुर्गों को टीके लगाने का लक्ष्य तय किया था, जोकि, 100.52% है। यह अच्छा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन नहीं होना चिंता का विषय भी बना है। जिले के बाजना, पिपलौदा, सैलाना और रतलाम ग्रामीण में 10% बुजुर्गों को भी टीके नहीं लगे। सबसे कम पिपलौदा में 2.41% बुजुर्गों का वैक्सीनेशन हुआ है।

पहले अलकापुरी, सागोद रोड पर भी थे स्थाई सेंटर

वैक्सीनेशन की रफ्तार कम होती देख स्वास्थ्य विभाग ने अपने सेंटरों को भी कम कर दिया है। अभी जिला अस्पताल में ही वैक्सीन लगाई जा रही है। जबकि वैक्सीनेशन की शुरुआत से ही अलकापुरी स्थित कम्युनिटी हॉल, सागोद रोड स्थित जैन स्कूल भी सेंटर बने हुए थे। ग्रामीण क्षेत्र में भी अब सेंटर कम हो गए है। इधर, अब स्वास्थ्य विभाग का अमला सामान्य वैक्सीनेशन और जांच में जुटा है।

जिले में बुजुर्गों के वैक्सीनेशन की स्थिति

ब्लॉक	टारगेट	टीके लगे	प्रतिशत
रतलाम शहर	5807	5837	100.52
आलोट	4198	652	15.53
बाजना	3153	102	3.24
जावरा	4660	878	18.84
पिपलौदा	2652	64	2.41
सैलाना	2587	250	9.66
ग्रामीण	4838	319	6.59
जिला	27895	8102	29.0

दै.भास्कर 13/3/22

अधिसूचना जारी **इलेक्ट्रानिक फार्म में भी जानकारी देने का प्रविधान**

जनगणना के लिए आप खुद करें अपनी गणना

नई दिल्ली(एजेंसी)। अगर आप चाहें तो आगामी जनगणना में आनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी दे सकेंगे। सरकार ने नागरिकों को आनलाइन स्व-गणना का अधिकार देने के लिए जनगणना संबंधी नियमों में बदलाव किया है। पहले की तरह कागजी जनगणना के लिए घर-घर भी टीमें जाएंगी।

शुक्रवार की देर रात केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए जनगणना (संशोधन) नियम, 2022 के मुताबिक कोई भी पहले के प्रविधानों को प्रभावित किए स्व-गणना के माध्यम

से जनगणना अनुसूची को भर सकता है, पूरा कर सकता है और जमा कर सकता है। इसके लिए नियम में 'इलेक्ट्रानिक फार्म' शब्द जोड़ा गया है जिसका मतलब वही है जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा दो की उप-धारा (एक) के खंड आर में दिया गया है। इसमें मीडिया, मैग्नेटिक, आप्टिकल, कंप्यूटर मेमोरी, माइक्रो फिल्म, कंप्यूटर जनित माइक्रो फिचे या इसी तरह के उपकरण में तैयार, भेजी, प्राप्त या संग्रहित किसी भी जानकारी को इलेक्ट्रानिक फार्म वाली माना जाएगा। आनलाइन स्व-गणना के प्रविधान के साथ ही कागजी प्रविष्टि के लिए भी टीमें हर बार की तरह घर-घर पहुंचेगी। नागरिक अपनी स्वेच्छा से संबंधित जानकारी कागजी माध्यम से या इलेक्ट्रानिक माध्यम से दे सकते हैं।

जनगणना का आवास सूचीकरण चरण और एनपीआर को अपडेट करने की कवायद एक अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 के बीच पूरी की जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। पहले के कार्यक्रम के मुताबिक जनगणना की संदर्भ तिथि एक मार्च, 2021 और पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह एक अक्टूबर, 2020 थी।

जनगणना के काम को अभी स्थगित रखा गया है और सरकार ने नए कार्यक्रम की अभी घोषणा नहीं की है। जनगणना नियम छह में एक खंड जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से स्व-गणना के लिए प्रतिवादियों को स्वयं जनगणना अनुसूची को भरने, पूरा करने और उसे जमा करने की अनुमति दी गई है।

सहायक शिक्षण सामग्री का प्रदर्शन कर जीते पुरस्कार, शिक्षिकाएं आगे, शिक्षक पिछड़े

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

जनपद शिक्षा केन्द्र रतलाम में विकासखण्ड स्तर की सहायक शिक्षण सामग्री मेले का आयोजन किया गया। शुभारंभ सहायक संचालक लक्ष्मण देवड़ा ने किया। वहीं पुरस्कार वितरण नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया एवं डीपीसी एम एल सांसरी ने किया। 13-3-22

मेले 15 जनशिक्षा केन्द्र के प्रत्येक से चयनित 3 हिन्दी, 3 गणित, 3 विज्ञान के कुल 135 शिक्षक और बच्चों ने टीचिंग लर्निंग मैटेरियल लेकर सहभागिता की। 9 शिक्षक शिक्षिकाओं को पुरस्कार दिए गए जिनमें से 3 शिक्षक और 6 शिक्षिकाएं हैं। सहायक शिक्षण सामग्री बनाने में शिक्षिकाएं शिक्षकों के मुकाबले बाजी मार गईं।

बीएससी एवं टी एल एम प्रभारी योगेश सरवाड़ ने बताया कि शुभारम्भ सहायक संचालक लक्ष्मण देवड़ा ने माँ सरस्वती को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर किया।

प्रतियोगिता में विषय वार निर्णायक शिक्षाविद सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉ. मुरलीधर चांदनीदवाला, प्राचार्य आर एन केरावत, शिक्षक राजीव पण्डित, स्वतंत्र श्रोत्रिय, प्राचार्य पार्वती परमार, किरण अहिरवार, युगल किशोर पाल ने मेले का अवलोकन कर प्रतिभागियों के टी एल एम को प्रथम द्वितीय एवं तृतीय के लिए चयनित किया।

इन्होंने किया पुरस्कार वितरण

पुरस्कार वितरण नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के मुख्य आतिथ्य, डीपीसी एम एल सांसरी की अध्यक्षता एवं बीआरसीसी मुकेश राठौर की मौजूदगी में हुआ। मेले के विषयवार प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों का वितरण किया। हिन्दी में संजय भगोरा, श्रीमती सरिता राजपुरोहित, घनश्याम शर्मा, गणित में गणेश चौहान, श्रीमती हेमलता कुम्हेरा, श्रीमती प्रियंका राठौर, विज्ञान में श्रीमती रिंकू पंवार, श्रीमती शालिनी जोशी, श्रीमती राजेश व्यास रहे। कार्यक्रम में बीएससी अशफाक अहमद कुरैशी, अजय बक्शी एवं पूर्व बीएससी के सी व्यास, जगदीश शर्मा एवं जनपद शिक्षा केन्द्र के समस्त जनशिक्षकों ने सहभागिता की। संचालन जनशिक्षक भरत टांक ने किया।

प्रसारण 13/3/22

रतलाम, उज्जैन व देवास समेत आठ निकायों में फर्जी नियुक्ति घोटाला

बड़ा 'खेल' • अधिकारियों ने मनमानी कर 34 करोड़ रुपये से अधिक मानदेय भी निकाला

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। प्रदेश में पांच नगर निगम, एक नगर पालिका और दो नगर परिषदों ने न सिर्फ फर्जी तरीके से अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों की नियुक्ति की, बल्कि 34 करोड़ 40 लाख 67 हजार 135 रुपये मानदेय भी भुगतान कर दिया। इतना ही नहीं, मानदेय भुगतान से पहले बजट में इसका प्रविधान भी नहीं कराया। यह खुलासा संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा के प्रतिवेदन-2018-19 में हुआ है।

प्रदेश के नगरीय निकायों में स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की मनमानी के कई मामले सामने आए हैं। फर्जी नियुक्ति का मामला इन्हीं में से है। राज्य शासन ने नगरीय निकायों को अपने स्रोतों से प्राप्त आय के 65 प्रतिशत या सफाई कर्मियों की स्थिति में 75 प्रतिशत तक स्थापना व्यय सीमित रखने के निर्देश दिए हैं। स्थापना व्यय इस सीमा से अधिक न हो, इसलिए शासन ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगाई है।

मस्टर रोल पर सेवारत कर्मियों की संख्या कई गुना बढ़ाई : शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि ज्यादा जरूरत हो, तो 89 दिन के लिए श्रमिक रखे जा सकते हैं। जांच में पाया गया गया है कि अधिकांश निकायों में सेवारत स्थाई कर्मियों के विरुद्ध मस्टर रोल पर सेवारत कर्मियों की संख्या कई गुना है। जिस कारण स्थापना व्यय कई गुना बढ़ जाता है। संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से इस मामले में कार्रवाई की अपेक्षा की है।

संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा के प्रतिवेदन में

राजफाश

यहां मिली गड़बड़ियां

पांच नगर निगम : रतलाम, उज्जैन, देवास, मुरैना, सागर
एक नगर पालिका : रायसेन
दो नगर परिषद : बैराड़, बड़गांव

मानदेय भुगतान से पहले बजट में प्रविधान भी नहीं कराया

कहां-कहां हुई गड़बड़ी

निकाय	वित्तीय वर्ष	राशि (लाख में)	कहां किया भुगतान
नगर निगम मुरैना	2016-17	6173585	किराए के वाहनों के ड्राइवर, ईपीएफ, वास्तुविद सेवाओं
नगर निगम उज्जैन	2016-17, 17-18	4876687	अनियमित नियुक्ति, कर्मचारी की मृत्यु एवं सेवा में न होने पर
नगर निगम देवास	2017-18	919940	अनियमित नियुक्ति पर अधिक भुगतान
नगर निगम रतलाम	2015-16	106941686	स्वीकृत पदों से ज्यादा ड्राइवरों की नियुक्ति
नगर निगम रतलाम	2016 से 2018	200375092	प्रतिबंध के बावजूद नियुक्ति
नगर निगम सागर	2017-18	2081859	सुरक्षाकर्मियों को भुगतान
नगर पालिका रायसेन	2013-14, 15-16	17798498	स्वीकृति की प्रत्याशा में नियुक्ति
नगर परिषद बैराड़	2014-15, 16-17	3903837	पदों का सृजन किए बगैर दैवेभो की नियुक्ति और भुगतान
नगर परिषद बड़गांव	2011-12, 12-13	995951	सक्षम स्वीकृति न होने पर मस्टर से भुगतान

पंचायत राज संस्थाओं में करोड़ों की गड़बड़ी

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं में हुए आर्थिक नुकसान का मामला सामने आया है। आडिट रिपोर्ट में पाया गया है कि जिला पंचायत सीहोर, ग्वालियर, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत स्तर पर संस्थाओं ने बिना बिल-वाउचर 15 करोड़ 10 लाख 26,102 रुपये का भुगतान कर आर्थिक नुकसान पहुंचाया।

यहां भी घोटाला

पंचायत स्तर पर संस्थाओं ने बिलों का विलंब शुल्क देकर किया 72.95 लाख का नुकसान

भंडार क्रय नियमों का पालन किए बगैर 36 करोड़ की खरीदी बताई गई, जिसमें कहीं कोई निविदा या कोटेशन बुलाने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसका खुलासा विधानसभा में आई रिपोर्ट में हुआ है।

दैनिक भास्कर
रतलाम

समझौता होते ही परिजन के लिए 11.80 लाख का चेक सौंप दिया

दुर्घटना में मृत रमेश माली के परिवार के लिए विशेष र[illegible] ार की नेशनल लोक अदालत, शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में जिले में 442 प्रकरणों का निराकरण हुआ

भास्कर संवाददाता | रतलाम

अप्रैल-20 में हुई दुर्घटना में मृत डेलनपुर के रमेश माली के परिवार के लिए इस बार की नेशनल लोक अदालत विशेष रही। बीमा कंपनी के अधिकारियों ने समझौते के तुरंत बाद ही मृतक के परिजन के लिए जिला जज को 11.80 लाख रुपए का चेक सौंप दिया। आमतौर पर अदालत के आदेश के बाद पीड़ित परिवार को रुपए मिलने में करीब 2 महीने लग जाते हैं। नेशनल लोक अदालत में स्टेट बैंक के 10 साल पुराने लोन प्रकरण का भी निराकरण हुआ। ग्राम भारोड़ा के किसान रामकिशन ने किसान क्रेडिट कार्ड लोन के बकाया 6 लाख 72 हजार रुपए जमा करवा दिए। नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर 442 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें 974 व्यक्तियों को लाभ मिला और 8,24,81,834 रुपए के अवार्ड पारित हुए।

शनिवार को सुबह जिला न्यायालय के एडीआर भवन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष राजेशकुमार गुप्ता ने नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश हितेंद्रकुमार मिश्रा, जिविसेप्रा के सचिव अरुण श्रीवास्तव के अलावा अन्य न्यायाधीश और न्यायालय के कर्मचारी, जिला अभिभाषक [illegible] अध्यक्ष अभय शर्मा औ[illegible] पदाधिकारी उपस्थित थे। नेशनल लोक अदालत में बैंकों के प्रबंधक, बिजली विभाग, बीएसएनएल, नगर निगम सहित अन्य शासकीय विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने सहयोग किया। नेशनल लोक अदालत के लिए रतलाम में 18, जावरा में 9, आलोट में 5 तथा सैलाना में 3 डेस्क गठित की गई थीं।

नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन करते हुए जिला जज गुप्ता।

जिला प्रधान न्यायाधीश को चेक सौंपा, नाबालिग को एफडी प्रदान करेंगे

बीमा कंपनी के वकील प्रणय ओझा ने बताया डेलनपुर निवासी रमेश माली बाइक से नौकरी पर निजी कॉलेज जा रहे थे। टवेरा की टक्कर से उनकी मौत हो गई। दो छोटे बेटे और एक बेटी सहित पत्नी राधाबाई, मां संपतबाई के सामने भरण-पोषण का संकट खड़ा हो गया। पत्नी राधाबाई की ओर से वकील पंकज बिलाला ने 22 अक्टूबर 2020 को वाहन चालक, वाहन मालिक तथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ 15 लाख 80 हजार रुपए क्षतिपूर्ति राशि के लिए न्यायालय में दावा लगाया। सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अरुणकुमार खरादी कर रहे थे। प्रधान जिला न्यायाधीश राजेशकुमार गुप्ता और सचिव अरुण कुमार श्रीवास्तव ने पीड़ित परिवार को राशि जल्द दिलवाने के लिए दोनों पक्षों से बात की। पीड़ित परिवार को भुगतान के लिए इंश्योरेंस कंपनी के रीजनल मैनेजर डॉ. रविंद्रसिंह वालिया, पदमकुमार जैन तथा मंडल प्रबंधक रमेश गजरानी शनिवार को चेक लेकर न्यायालय पहुंचे और प्रधान जिला न्यायाधीश को चेक सौंपा।

सबसे ज्यादा समझौते चेक बाउंस वालों के

प्रकरण प्रकार	प्रकरण संख्या	निराकृत संख्या	लाभांवित व्यक्ति
आपराधिक	422	29	56
चैक बाउंस	1876	129	264
मोटर क्लेम	669	66	235
वैवाहिक	211	8	16
दीवानी मामले	608	29	68
भरण पोषण, एम.जे.सी अन्य	885	96	208
विद्युत प्रकरण	494	83	123
श्रम प्रकरण	18	2	4
योग	5183	442	974

प्रिलिटिगेशन प्रकरण

- बीएसएनएल : 579 प्रकरणों में 25 का निराकरण हुआ और 1,09,719 रुपए जमा हुए।
- बैंक और फायनेंस : 12480 प्रकरणों में से 116 का निराकरण हुआ और 65,60,173 रुपए जमा हुए।
- बिजली विभाग : 1780 प्रकरणों में से 195 का निराकरण हुआ और 26,21,821 रुपए जमा हुए।
- नगर निगम : जल के 173 प्रकरण में 12.50,000 रुपए और संपत्तिकर के 360 प्रकरण में 36,04,672 रुपए जमा हुए।
- पुलिस : लंबित मोटर व्हीकल के 25 प्रकरणों में 25,500 रुपए शमनशुल्क जमा हुए।

दै. भास्कर 13/3/22

रतलाम सिटी

दिनभर चल रही सफाई, रात में धो रहे सड़क

स्वच्छता सर्वे 2022 : 15 मार्च के पहले आ सकती है सर्वे टीम, फीडबैक व डाक्यूमेंटेशन पर भी ध्यान

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। स्वच्छता सर्वेक्षण-2022 में अब कभी भी सफाई के इंतजाम परखने केंद्रीय टीम आ सकती है। इसके चलते नगर निगम ने सफाई व्यवस्था में और कसावट कर दी है। सफाई टीम दिन भर वार्डों, सार्वजनिक स्थानों पर सफाई के बाद रात में प्रमुख मार्गों, सड़कों को धोने में जुट जाती है। इधर कचरा मुक्त शहर (जीएफसी) और वाटर प्लस के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण के पोर्टल पर 15 मार्च तक दस्तावेज अपलोड करने का काम भी तेज हो गया है। टीम आने की संभावना के चलते निगम अमले को भी अलर्ट रखा गया है।

मालूम हो कि टीम के आने की कोई सूचना नहीं दी जाएगी। गुपचुप सर्वे में सार्वजनिक स्थानों, सविधाघरों, प्रमुख बाजार व मोहल्लों में सफाई के इंतजामों को देखा जाएगा। अभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीटेड पानी मिलना शुरू होने के बाद अब निगम अमला इस पानी से सड़कों, डिवाइडरों को धोने के साथ ही उद्यानों में भी इस पानी का उपयोग कर रहा है। इससे सफाई का स्तर बेहतर हुआ है।

फोरलेन पर रात मे फाइटर से सड़क की धुलाई करता निगम अमला। • नईदुनिया

जिले को भी मिलेगी रैंकिंग: इस बार जिले की नगरीय निकायों के आधार पर जिले की रैंकिंग भी तय की जाएगी। इसके चलते सभी निकायों को अच्छे अंक दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में नियमों बदलाव किया गया है। हर शहर को स्टार रैंकिंग के लिए 15 मार्च तक एंट्री देनी होगी। इसके लिए भी तैयारी हो रही है। स्टार रैंकिंग के लिए अप्लाय करने के बाद टीम देखेगी कि शहर मे डोर-टू-डोर कचरा उठ रहा है या नहीं, गीला व सूखा कचरा अलग किया जा रहा है या नहीं। पालिथीन के चालान काटे जा रहे हैं या नहीं। नाइट स्वीपिंग हो रही है या नहीं।

फीडबैक के लिए शहरवासियों के पास आ रहे काल

इस बार सर्वेक्षण 7500 अंक का होगा, जबकि पिछले सर्वेक्षण में 6000 अंक थे। शहरों की सफाई के आकलन करने के लिए कई नए मापदंड जोड़े गए हैं। जनता से फेस-टू-फेस फीडबैक के लिए केंद्रीय टीम आएगी। सीनियर सिटीजन और युवाओं से अधिक फीडबैक लिया जाएगा। 2250 अंक सिटीजन वायस के निर्धारित किए हैं। शहर को साफ-सुथरा रखने में किस तरह निगम काम कर रहा। इसके अलावा 10 सवाल शहरवासियों से पूछे जाएंगे। इसमें घरों से रोजाना कूड़ा उठता है या नहीं, क्या आप गीला-सूखा कूड़ा अलग-अलग कर डालते हैं। इसे लेकर फोन काल भी शहरवासियों के पास आ रहे हैं

"स्वच्छ सर्वे के लिए हर स्तर पर इंतजाम बेहतर किए गए है। केंद्रीय टीम का सर्वे कभी भी हो सकता है। हमारी तैयारी पूरी है। सामूहिक प्रयासों से सफाई की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

– सोमनाथ झारिया, निगमायुक्त

नईदुनिया 13/3/22

रंगोली से दिया स्वच्छता का संदेश

रतलाम । नगर के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किये जाने हेतु नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर के विभिन्न चौराहो, सार्वजनिक स्थलों, शासकीय भवनों आदि पर स्वच्छता का संदेश देने वाली रंगोली बनाई जा रही है। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर को साफ-स्वच्छ बनाने हेतु नगर निगम तो अपना कार्य कर ही रहा है रतलाम नगर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नम्बर 1 तभी बनाया जा सकता है जब नगर के नागरिकों की इसमे सहभागिता हो। इस कार्य में आम नागरिकों की सहभागिता व जागरूकता हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर रंगोली बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। नवभारत 13-3-22

नवभारत 13/3/22

सड़क निर्माण का कार्य अधूरा छोड़ने से क्षेत्रवासी परेशान

13-3-22

रतलाम | विनोबा नगर (जवाहर नगर) मुक्तिधाम के पास से गुरुद्वारे तक की सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है। 10 दिन पहले रोड को खोद कर चूरी डाल दी गई थी, लेकिन उसके बाद काम शुरू नहीं हुआ है। इससे इस मार्ग से गुजरने वाले स्कूली बच्चे, क्षेत्रवासी परेशान हो रहे हैं। रोड का कार्य अधूरा होने के कारण गांधीनगर, पीएनटी कॉलोनी, रेल नगर, महेश नगर से आने वाली अंतिम यात्रा को घुमाकर दाह संस्कार के लिए मुक्तिधाम ले जाया जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने जल्द से जल्द से रोड बनाने की मांग की।

दै. भास्कर 13/3/22

13-3-22

शिकायत के बाद जागा निगम, जावरा फाटक अंडरब्रिज में खुला चैंबर ढंका

रतलाम | जावरा फाटक अंडरब्रिज पर खुला चैंबर नगर निगम ने ढंक दिया है। इसके पहले चैंबर खुला था। क्षेत्र के शेरू पठान ने इसकी सूचना निगम को दी। शिकायत पर निगम की टीम शुक्रवार को पहुंची और खुले चैंबर को ढंका।